न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

वाद संख्या : 36/2019

1 सरोज पुत्री आत्माराम पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासलाना हाल निवासी घेउ तहसील भादरा।

:- वादिया

बनाम

1 आत्माराम पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2 ... पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4 उपपंजीयक भादरा जिला हनुमानगढ़।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र जाखड़ : वादिया

निर्णय

दिनांक : 30.05.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 10/266 खसरा संख्या 412/2 की 0.822 है0 खसरा संख्या 414/2 की 14.025 है0, खसरा संख्या ... की 1.733 है0 कुल किता 3 की 16.580 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम ... 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादिया एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादिया की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादिया का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि पहले वादिया के दादा बीरूराम की खातेदारी हुआ करती थी जो वादिया के दादा के देहान्त होने के पश्चात तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादिया ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादिया के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सम्मन तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सरोज पुत्री आत्माराम पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासलाना हाल निवासी घेउ तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा रासलाना संवत 2075-78 खाता संख्या 78/79 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2067-70 खाता संख्या 165/165 प्रदर्श 2, शपथ पत्र सरोज बाबत सदस्य आत्माराम हेतु प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादिया की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादिया एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर [illegible] अनतोष व वादिया एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है [illegible] जाने हेतु निवेदन वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादिया ने रोही मौजा रासलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादिया ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 10/266 के

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 412/2 की 0.822 है0 खसरा संख्या 414/2 की 14.025 है0, खसरा संख्या 416 की 1.733 है0 कुल किता 3 की 16.580 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 आत्माराम अकेले की बजाय वादिया, प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावे। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादिया साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 10/266 के खसरा संख्या 412/2 की 0.822 है0 खसरा संख्या 414/2 की 14.025 है0, खसरा संख्या 416 की 1.733 है0 कुल किता 3 की 16.580 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 आत्माराम अकेले की बजाय वादिया सरोज, प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम तथा प्रतिवादी संख्या 2 मैना को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 36/2019

उनवान :
1. सरोज पुत्री आत्माराम पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रासलाना हाल निवासी घेउ तहसील भादरा। :– वादिया

बनाम

1. आत्माराम पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. मैना पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. उपपंजीयक भादरा जिला हनुमानगढ़। :– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र जाखड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादिया साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 10/266 के खसरा संख्या 412/2 की 0.822 है0 खसरा संख्या 414/2 की 14.025 है0, खसरा संख्या 416 की 1.733 है0 कुल किता 3 की 16.580 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 आत्माराम अकेले की बजाय वादिया सरोज, प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम तथा प्रतिवादी संख्या 2 मैना को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:40 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, ज़िला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner